न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 08/2016 (उदयपुर आर्डर)

1. श्री धर्मसिंह पिता फतहलाल जी सुहालका निवासी गांव बुझड़ा (कोडियाल चौकी) तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री लालिया पिता दल्ला जी गमेती निवासी थलफला (बुझड़ा) तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
2. भ गवरिया यपिता श्री दल्ला जी गमेती निवासी थलफला (बुझड़ा) तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
3. मृतक श्री परता पिता श्री दोला जी गमेती निवासी थलफला (बुझड़ा) तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0) (**फोत होने से नाम हटाया गया**)
4. श्री हीरा पिता श्री चतरा जी गमेती निवासी थलफला (बुझड़ा) तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)

.... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा दिनांक 27–01–2014 प्रकरण संख्या
87/2010 प्रार्थना पत्र

––––

उपस्थित :–1– नरेश जणवा अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री लोकेश गहलोत अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 से 3

3– श्री पंकज भटनागर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या–4

निर्णय **दिनांक 14–11–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा विपक्षी रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध धारा–212 राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम 1955 का आवेदन प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि ग्राम बुझड़ा में स्थित आराजी नंबर 770 रकबा 2.155 हैक्टर भूमि के 0.84 हैक्टर पर प्रार्थी का बाप–दादाओं के समय से कब्जा काश्त है तथा इसी आधार पर आवंटन सलाहकार समिति ने दिनांक 19–6–2000 को इस आराजी में से 0.84 हैक्टर भूमि आवंटन की सिफारिश कर आवंटन की गई। प्रार्थी उक्त भूमि पर मालिक की हेसियत से काबिज हो उसने इस भूमि को आबादान किया, परन्तु अभी 20–22 दिन पूर्व विपक्षीगण ने पक्की बाउण्ड्रीवाल नष्ट कर दी और हरे वृक्षों को काट दिया तथा विपक्षी संख्या–1 से 4 समझाने पर भी नहीं माने। प्रार्थी ने एक फोजदारी प्रकरण थाना नाई में दर्ज करवाया, जो जैर अनुसंधान है। विपक्षी संख्या 1 से 4 इस भूमि में बेज़ा दखलन्दाजी करते है। प्रार्थी द्वारा आराजी नंबर 162 रकबा 0.84 हैक्टर तथा आराजी नंबर 770 रकबा 0.84 हैक्टर आवंटन का आवेदन पेश किया था, परन्तु आराजी नंबर 770 रकबा 0.84 हैकटर का आवंटन भूल से रह गया। जबक प्रार्थी इस भूमि पर काबिज है। विपक्षीगण को आराजी नंबर 770 रकबा 0.84 हैक्टर भूमि पर वादी प्रार्थी के कब्जे में दखलन्दाजी नहीं करने को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाय। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 27–1–2014 अनुसार विपक्षीगण के विरूद्ध एक–तरफा कार्यवाही करते हुए प्रार्थी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27–1–2014 से रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 13–4–2016 को पेश की।

अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन व शपथ पत्र पेश किया। न्यायहित में अखण्डित शपथ पत्र के आधार पर मयाद कण्डोन की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की और से अधिवक्ता श्री लोकेश गहलोत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–4 की और से राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष खण्डन में कुछ भी उपलब्ध नहीं था, जबकि प्रार्थी अपीलान्ट का कब्जा होना प्रमाणित था, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया गया है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि प्रार्थी द्वारा आवंटन आवेदन आराजी नंबर 770 रकबा 0.84 के लिए भी आराजी नंबर 162 के साथ किया है। परन्तु आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन सिर्फ आराजी नंबर 162 का ही किया है। आराजी नंबर 770 का आवंटन नहीं किया है, जो आवंटन आदेश व कार्यवाही वृतान्त के क्रम संख्या 49 से स्पष्ट है कि अपीलार्थी प्रार्थी को आराजी नंबर 770 में कोई आवंटन नहीं किया गया है। यह पुनः जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 से भी स्पष्ट होता है कि आराजी नंबर 770 रकबा 2.155 हैक्टर बिलानाम दर्ज है। आराजी नंबर 770 जब बिलानाम सरकार दर्ज है तो उक्त भूमि पर किसी अतिक्रमी का अथवा काबिज व्यक्ति को विधि अनुसार बेदखल करने के लिए अप्रार्थी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 विधिक रूप से अधिकृत है। हम इस प्रकरण में अपीलान्ट प्रार्थी का रेस्पोन्डेन्ट विपक्षी संख्या 5 के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं पाते। अतएव रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 के विरूद्ध तो यह अपील पोषणीय नहीं है, जहां तक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 का प्रश्न है, प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 के विरूद्ध कार्यवाही अबेट दिनांक 26–9–2018 को की जा चुकी है। अब रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2 व 4 का जहां तक प्रश्न है। प्रकरण में अपीलान्ट प्रार्थी के आवेदन के विरूद्ध विपक्षी रेस्पोन्डेन्ट 1, 2 व 4 का कोई जवाब व साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसके विपरीत अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा वर्ष 2000 एवं 2002 में आराजी नंबर 770 के रकबा 0.83 हैक्टर पर उसका कब्जा होने

बाबत् खसरा परिवर्तनशीन व धारा–91 के नोटिस पेश किये है। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2 व 4 द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप किये जाने के कारण पुलिस द्वारा F. I. R.. संख्या 60/2010 में विपक्षी संख्या 1, 2 व 4 के विरूद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां प्रकरण संख्या 461/2010 पेश किया है। जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रसंज्ञान भी किया गया है। आपराधिक प्रकरण में की गई कार्यवाही तथा धारा–91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत अपीलान्ट प्रार्थी का उक्त सरकारी भूमि पर अतिक्रमण होना अखण्डित है। क्योंकि रेस्पोन्डेन्ट का कोई जवाब या साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं है। हालांकि भूमि राजकीय है, परन्तु उस पर हस्ब उपलब्ध साक्ष्य प्रथम दृष्टया अपीलान्ट प्रार्थी का कब्जा अतिक्रमी के रूप में होना प्रकट आता है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमी के कोई स्वत्व नहीं होते एवं तद्नुसार उक्त कब्जे को सरकार/तहसीलदार द्वारा हटाया जाना विधि सम्मत होते है, परन्तु उक्त कब्जे को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बिना अधिकार काबिज व्यक्ति को बेदखल किया जाना कदापि न्याय संगत नहीं है। तद्नुसार हम उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में प्रथम दृष्टया अपीलान्ट का प्रकरण रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2 व 4 के विरूद्ध पाते है। अतएव अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–1–2014 अपास्त किया जाकर प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2 व 4 को अपीलान्ट प्रार्थी के आराजी नंबर 770 ग्राम बुझड़ा में कब्जा यदि है, तो उसमें बेज़ा दखलन्दाजी नहीं करने को मूलवाद के निस्तारण तक पाबन्द किया जाता है। उपरोक्तानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से सिर्फ रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2 व 4 के विरूद्ध स्वीकार की जाती है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14–11–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर